प्रारूप-10

(सरकारी बचत संवर्धन नियम, 2018 का नियम 14 देखें)

<u>राष्ट्रीय बचत स्कीम के अधीन खाते में नामांकन के निरस्तीकरण या परिवर्तन हेतु आवेदन</u>

डाकघर/बैंक का नाम.....................................खाता संख्या...........................
स्कीम का नाम.............

सेवा में,

डाकघर/प्रबंधक
....
....

मै/हम...(अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति का नाम) के जमाकर्ता/संरक्षक होने के नाते एतद्वारा नीचे नामित व्यक्ति (यों) को उक्त खाते के बंद किए जाने के पहले मेरे/हमारे अवयस्क/विकृतचित्त व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में उपर्युक्त खाते में जमाराशि को प्राप्त करने हेतु नामित करता हूं/करते हैं।

क्र.सं.	नामांकित (नामांकितों) के नाम और संबंध	पूरा पता	नामांकित(नामांकितों) की आधार सं.	अवयस्क के मामले में नामांकित की जन्म तिथि	हकदारी का हिस्सा	हकदारी का स्वरूप न्यासी या स्वामी

चूंकि, ऊपर विनिर्दिष्ट क्र.सं.................................... पर नामांकित अवयस्क है/हैं, नामांकित(नामांकितों) के अवयस्क रहने के दौरान मेरी मृत्यु होने की दशा में उक्त खाते के अधीनदेय राशि को प्राप्त करने के लिए मैं श्री/श्रीमति/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी/..
पता..
को नियुक्त करता हूं।

उपर्युक्त नामांकन नीचे दिए गए अनुसार प्रभावी होगा।

यह नामांकन रजिस्ट्रीकरण सं...तारीख.............................. को उक्त खाते के संबंध में किया गया पहले के नामांकन को निरस्त करता है।

या

उक्त खाते के संबंध में पहले कोई नामांकन नहीं किया गया है।
पासबुका/जमा रसीद/खाता विवरण संलग्न है।

जमाकर्ता/जमाकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठे
का निशान

अभिसाक्षी

1.नाम
पता
हस्ताक्षर

2. नाम
पता
हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग हेतु

नामांकन को क्रम संख्या पर पंजीकृत किया गया है|

दिनांक

पोस्टमास्टर /प्रबन्धक
का हस्ताक्षर व मोहर

14. **नामांकनः** (1) एकल खाते में जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते में जमाकर्ताओं, जैसा भी मामला हो, को एक अथवा अधिक व्यष्टि, किन्तु चार व्यष्टियों से अधिक नहीं, को नामिती के रूप में नामांकित किया जाए, जो एकल खाते में जमाकर्ता अथवा संयुक्त खाते में सभी जमाकर्ताओं के देहान्त होने की स्थिति में पात्र इति शेष रकम प्राप्त करने का हकदार होगा। यह नामांकन प्ररूप 10 में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराते हुए खाता खोलने के समय किया जाना चाहिए:

(क) नामिती(यों) का नाम;
(ख) प्रतिशत भाग जिसे प्रत्येक नामिती प्राप्त करने का हकदार होगा;
(ग) क्या नामिती संपूर्ण स्वामित्व और विशेषाधिकार के साथ हिताधिकारी के रूप में, अथवा जमाकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के लाभ के लिए एक संरक्षक के रूप में रकम प्राप्त करेगा।

(2) जहां नामिती अवयस्क हो, नामिती की अवयस्कता के दौरान जमाकर्ताओं की मृत्यु की स्थिति में पात्र इति शेष का भुगतान पाने के लिए प्ररूप 10 में आवश्यक ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए जमाकर्ता नामांकन करते समय एक व्यष्टि नियुक्त करेगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन किए गए नामांकन को खाते की परिपक्वता से पहले कभी भी जमाकर्ताओं द्वारा पासबुक के साथ, लेखा कार्यालय को प्ररूप 10 में आवेदन करते हुए बदला जा सकता है।

(4) अवयस्क अथवा विकृतचित्त व्यक्ति के नाम पर खातों को छोड़कर, 01 अप्रैल, 2018 से पूर्व खोले गए उन खातों के मामले में, जहां कोई नामांकन नहीं किया गया है, जमाकर्ता को नामांकन तुरंत करना चाहिए और किसी भी हाल में, खाते के परिपक्व होने से पहले तो करना ही चाहिए।

(5) एक अवयस्क द्वारा खोले गए अथवा अवयस्क या विकृतचित्त की ओर से खोले गए खाते के मामले में, जैसा भी मामला हो, संरक्षक द्वारा नामांकन किया जाना चाहिए, जो इस संबंध में स्वयं समेत किसी भी व्यष्टि को नामांकित कर सकता है:

परंतु यह कि 01 अप्रैल 2018 से पूर्व खोले गए ऐसे खातों के संबंध में कोई नामांकन अनुमत्य नहीं होगा और जमाकर्ता की मृत्यु की स्थिति में, ग्राह्य रकम का भुगतान संरक्षक को किया जाएगा।

(6) उप-नियम (1) के अधीन किया गया कोई भी नामांकन निम्नलिखित परिस्थितियों में निरस्त हो जाएगा, अर्थात

i. सभी नामितियों की मृत्यु;
ii. नियम 16 के अधीन प्रतिभूति के रूप में खाते का अंतरण;

(7) उप-नियम (6) में बताई गई परिस्थितियों के अधीन नया नामांकन किया जाना आवश्यक होगा।

(8) उप-नियम (1) तथा (7) के अधीन नामांकन करते समय अथवा उप-नियम (3) के निंबधनों में नामांकन में परिवर्तन करते समय अशिक्षित जमाकर्ता के अंगूठे के छाप का सत्यापन दो गवाहों द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ साक्षर जमाकर्ता के मामले में किसी भी गवाह द्वारा सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।